भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 316

जिसका उत्तर 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

14 माघ, 1942 (शक)

आधार कार्ड में जाति अधिवास डेटा को शामिल करना

316. श्री के.षणमुग सुंदरम :
श्री पी. वेलुसामी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास छात्रों को जारी किए जाने वाले आधार कार्ड में जाति और अधिवास डेटा को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी राज्य प्राधिकारियों से आधार को जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है क्योंकि ये डेटा राज्य के विषय हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन निर्देशों का पालन करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) आधार कार्ड में जाति और अधिवास डेटा को शामिल करने से छात्रों को क्या लाभ होगा;

(ड.) क्या ये प्रमाणपत्र कक्षा V या VIII में उनके अध्ययन के दौरान प्रविष्ट किए जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास राज्य के प्राधिकारियों द्वारा वैध आदेश का पालन नहीं करने के लिए दंड प्रावधानों का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) : जी, हां। छात्र सहित किसी निवासी के आधार कार्ड में जाति और अधिवास विवरण शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) किसी निवासी के आवश्यक बायोमैट्रिक और जनसंख्यिकी विवरण को इकटठा करने के बाद ही, निवासी के लिए आधार नंबर जारी करता है।

आधार (वित्त और अन्य छूट, लाभ और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ट) के अनुसार "जनसांख्यिकी सूचना" में किसी व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पता और अन्य सुसंगत सूचना शामिल है जो कि किसी आधार संख्या को जारी करने के उद्धेश्य हेतु विनियम द्वारा विनिर्धारित की गई है, लेकिन इसमें नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकार्ड, आय अथवा चिकित्सा के पूर्ववृत्तांत शामिल नहीं होगें।

(ख) से (च) : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

****